न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 51 / 2024

श्री सनवर लाल चौधरी पुत्र रंगलाल चौधरी जाति जाट निवासी छान तहसील व जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर, टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.10.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 24.07.2024 को एक पत्र आपको संबोधित करते हुए बर्बादी सांवरलाल चौधरी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में तथ्यात्मक टिप्पणी में मांगी गई थी उसे टिप्पणी के प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।
2. उक्त परिवाद के संबंध में आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच प्रस्तावित की गई थी अथवा नहीं अगर की गई थी तो जांच अधिकारी नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।
3. 02.07.2024 को जांच टीम द्वारा जिन–जिन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए उन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।
4. उक्त परिवाद के संबंध में जो जांच की गई थी उसमें किसी डॉक्टर को दोषी माना गया है अथवा नहीं माना गया है तो दोषियों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये और नहीं माना गया है तो किस साक्ष्य के आधार पर नहीं माना गया प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।
5. परिवादी द्वारा जांच टीम को जो 2 जुलाई को जांच हेतु आई थी साक्ष्य के रूप में एक पेन ड्राइव दिया गया था क्या जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त साक्ष्य देखा गया था अथवा नहीं।
6. क्या जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छान का कभी आकस्मिक निरीक्षण किया गया है अथवा नहीं अगर किया गया है तो कब किया गया प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।
7. परिवादी द्वारा न्याय प्राप्त करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छान पर पदस्थापित सभी डाक्टर व कर्मचारी की एक माह की मोबाइल लोकेशन का मिलान हाजिरी रजिस्टर से करने का निवेदन किया गया था क्या आप द्वारा लोकेशन निकलवा कर हाजिरी रजिस्टर से मिलान किया गया था अथवा नही अगर किया गया था तो मोबाइल लोकेशन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर राजस्थान

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर, टोंक को पत्र क्रमांक 1358 दिनांक 12.09.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर, टोंक ने पत्र क्रमांक 736 दिनांक 30.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 737 दिनांक 30.09.2024 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक